ऑन लाईन नं. RCMS 2021/50

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 03/2021

1. कल्लो बाई पत्नी रामचन्द्र उर्फ पंजुराम जाति ओड़ निवासी गांव खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. कल्लो बाई पत्नी भगवान दास जाति ओड़ निवासी गांव खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खाटलवाना

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 279 दिनांक 09.02.2013 जो अप्रार्थी संख्या 01 कल्लो बाई पत्नी भगवानदास के नाम से पैमायश 216.40 वर्गगज का सरपंच ग्राम पंचायत खाटलवाना द्वारा जारी किया गया है को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित :

1. श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता—1
3. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या —2

:: आदेश :: दिनांक :— 28.09.2022

हस्तगत निगरानी अदालत के रामक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के पति रामचन्द्र उर्फ पंजु का काफी अरसा पूर्व देहान्त हो गया था। प्रार्थीया निरक्षर व विधवा औरतजात है। प्रार्थीया के ससुर वीरूराम के पास गांव खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर में एक अहाता संख्या 55 बी था जिसमें प्रार्थीया के देवर जेठ दिवाचन्द ,ज्ञानचन्द, भगवानदास, लक्ष्मण आदि रहते थे प्रार्थीया के पति के देहान्त के बाद इसी अहाते में से ज्ञानचन्द द्वारा एक लिखित शपथ पत्र के आधार पर यह लिखकर दिया था कि उक्त अहाता के उत्तरी हिस्सा का 1/2 प्रार्थीया को कब्जा में दिया गया जिसमें प्रार्थीया द्वारा दो कच्चे पक्के मकानों का निर्माण करके रहने लगी। इस प्रकार से उक्त अहाता की मलकीयत प्रार्थीया की होती है। कुछ रामय पूर्व प्रार्थीया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपने मकानों पर ताला लगाकर अपनी लड़कियों सहित पीहर में रहने लग गई। प्रार्थीया जब अपने गांव आई तो प्रार्थीया ने देखा कि प्रार्थीया के हिस्से में आये बने मकान पर कब्जा करके मकान का निर्माण अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा किया जा रहा है। अप्रार्थीया संख्या 01 को प्रार्थीया ने कहा कि मेरे मकान में आप कैसे मकान बना रहे हो तो उसने कहा कि मेरे पारा इस अहाते का पट्टा है तो प्रार्थीया सरपंच ग्राम पंचायत से उक्त अहाते पर अविधिक रूप से बने पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की जो पत्रावली के साथ सलंग्न है। अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मैं अपने परिवार सहित मकान बनाकर रह रही हूँ जिसका मुझे पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत नियमन के लिये पेश किया जिस पर सरपंच के पास उपस्थिति की कोई दिनांक अंकित नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत सरपंच के कही हस्ताक्षर है और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण एव नक्शा फीस वसूल के सम्बन्ध में कोई इन्द्राज है और ना ही आवेदन पत्र में रिहायश के सम्बन्ध में कब्जे का समय अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2012 को पारित कर उक्त आज्ञाओं की सूची तैयार की गयी जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कल्लो बाई पत्नी भगवानदास यानि कि अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टे जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत सचिव आगामी बैठक में नजरी नक्शा बनाकर प्रस्तुत करें और मिसल खोली जावे जिस पर दिनांक 20.12.2012 को सचिव द्वारा नजरी नक्शा मिसल के साथ प्रस्तुत किया जिस पर तीन पंचो की कमेटी का गठन किया गया जिसमें बालूराम उप सरपंच , दीवान चन्द वार्ड पंच, हरीचन्द वार्ड पंच का चयन किया गया और आदेशित किया गया कि आगामी पेशी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौके का नक्शा तैयार किया गया व कमेटी की जांच रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की जिस पर पंचों के हस्ताक्षर नहीं है और जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट में कोई भी दिनांक अंकित नहीं है और जांच कमेटी की बिन्दु संख्या 05 में वह अहाता प्रार्थी के नाम विनियमितकरण कर पट्टा दिया जाना उचित/अनुचित है का भी अंकन नहीं किया गया है तथा उसी अहाते पर कोई विवाद के सम्बन्ध में भी टिप्पणी या अंकन नहीं है और दिनांक का भी अंकन नहीं है , ना ही पंच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में रिहायश के सम्बन्ध में समय अंकित किया है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी पत्रावली की फर्दकाम में अप्रार्थी संख्या 01 का 30 वर्ष का कब्जा दिखाया गया है जो कानूनी नहीं है। रिपोर्ट व नक्शा भी अविधिक पूर्ण तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा अपने आवेदन पत्र व प्रस्तुत शपथ पत्र में भी विरोधाभाषी कथन प्रस्तुत किये हुए है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बिना जांच व नक्शा पारित किये व गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.02.2013 को अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टा संख्या 01 बुक संख्या 279 पैमायश 216.40 वर्गगज का जारी किया गया है। उक्त आधारों पर उक्त विवादित पट्टा संख्या 01 कल्लोबाई पत्नी भगवानदास के नाम से जारी किया गया है, खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 का विवादित जगह पर कभी भी रिहायश या कब्जा नहीं रहा है जबकि प्रार्थीया का लगातार पति के देहान्त के बाद से कब्जा व रिहायश चली आ रही है। विवादित पट्टा गलत रूप से जारी करवाया गया है जो कि निरस्त होने लायक है। ग्रांम पचायत द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 279 दिनांक 09.02.2013 जो अप्रार्थी संख्या 01 कल्लो बाई पत्नी भगवानदास के नाम से जारी किया गया है, उक्त पट्टे को जारी करते समय जो कोरम पूरा कानूनी रूप से ग्राम सचिव के हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षरों से होता है, उक्त विवादित पट्टे में ग्राम संचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं है और कोरम के आधार पर भी पट्टा विधिवत् रूप से जारी नही किया गया है इसलिये खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया जब गाव लगभग 10–15 दिन पहले गांव में आयी तो प्रार्थीया को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

पता चला कि उसके मलकीयती भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा नाजायज व अविधिक रूप से पट्टा जारी करवा लिया है तो प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत के लोगो से भी निवेदन किया तो उस पंचायत में भी अप्रार्थीया नहीं मानी और जबरदस्ती भूखण्ड पर निर्माण कर रही है। अब प्रार्थीया के पास श्रीमानजी के समक्ष निगरानी के अलावा अन्य कोई भी कानूनी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसलिये निगरानी बिना देरी किये पेश की जा रही है। निगरानी के लिये कानून में कोई समय सीमा नियत नहीं है जब भी कोई कानूनी त्रुटि ध्यान में आवेदनकर्ता द्वारा अथवा सूओ मोटो अदालत के समक्ष आती है तो उस पर संज्ञान किया जा सकता है। अतः प्रार्थीया की निगरानी स्वीकार की जाकर विरूद्व पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 279 दिनांक 09.02.2013 जो अप्रार्थी संख्या 01 कल्लो बाई पत्नी भगवान दास के नाम से पैमायश 216.40 वर्गगत का सरपंच ग्राम पंचायत खाटलबाना द्वारा जारी किया गया है को आपस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के पति रामचन्द्र उर्फ पंजु का काफी अरसा पूर्व देहान्त हो गया था। प्रार्थीया निरक्षर व विधवा औरतजात है। प्रार्थीया के ससुर वीरूराम के पास गांव खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर में एक अहाता संख्या 55 बी था जिसमें प्रार्थीया के देवर जेठ दिवाचन्द ,ज्ञानचन्द, भगवानदास, लक्ष्मण आदि रहते थे प्रार्थीया के पति के देहान्त के बाद इसी अहाते में से ज्ञानचन्द द्वारा एक लिखित शपथ पत्र के आधार पर यह लिखकर दिया था कि उक्त अहाता के उत्तरी हिस्सा का 1/2 प्रार्थीया को कब्जा में दिया गया जिसमें प्रार्थीया द्वारा दो कच्चे पक्के मकानों का निर्माण करके रहने लगी। इस प्रकार से उक्त अहाता की मलकीयत प्रार्थीया की होती है। प्रार्थीया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपने मकानों पर ताला लगाकर अपनी लड़कियों सहित पीहर में रहने लग गई। प्रार्थीया जब गांव आई तो प्रार्थीया ने देखा कि प्रार्थीया के हिस्से में आये बने मकान पर कब्जा करके मकान का निर्माण अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा किया जा रहा है। अप्रार्थीया संख्या 01 को प्रार्थीया ने कहा कि मेरे मकान में आप कैसे मकान बना रहे हो तो उसने कहा कि मेरे पास इस अहाते का पट्टा है। अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा बने पट्टे पर पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत नियमन के लिये पेश किया जिस पर सरपंच के पास उपस्थिति की कोई दिनांक अंकित नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत सचिव के कही हस्ताक्षर है और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण एव नक्शा फीस वसूल के सम्बन्ध में कोई इन्द्राज है और ना ही आवेदन पत्र में रिहायश के सम्बन्ध में कब्जे का समय अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2012 को पारित कर उक्त आज्ञाओं की सूची तैयार की गयी जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कल्लो बाई पत्नी भगवानदास यानि कि अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टे जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत सचिव आगामी बैठक में नजरी नक्शा बनाकर प्रस्तुत करें एवं मिसल खोली जावे जिस पर दिनांक 20.12.2012 को सचिव द्वारा नजरी नक्शा मिसल के साथ प्रस्तुत किया एव तीन पंचो की कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी में बालूराम उप सरपंच , दीवान चन्द वार्ड पंच, हरीचन्द वार्ड पंच का चयन किया गया। वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौके का नक्शा तैयार

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया गया व कमेटी की जांच रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की जिस पर पंचों के हस्ताक्षर ही नहीं है एव ना ही जांच रिपोर्ट में कोई भी दिनांक अंकित की है। जांच कमेटी की बिन्दु संख्या 05 में अप्रार्थी के नाम विनियमितकरण कर पट्टा दिया जाना उचित/अनुचित है का भी अंकन नहीं किया गया है ना ही अहाते पर कोई विवाद के सम्बन्ध में भी टिप्पणी का अंकन नहीं है ना ही पंच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में रिहायश कब से है के सम्बन्ध में कोई तारीख अंकित किया है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी पत्रावली की फर्दकाम में अप्रार्थी संख्या 01 का 30 वर्ष का कब्जा दिखाया गया है जो कानून गलत है। अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा अपने आवेदन पत्र व प्रस्तुत शपथ पत्र में भी विरोधाभाषी कथन प्रस्तुत किये हुए है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बिना जांच व नक्शा पारित किये व गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.02.2013 को अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टा जारी किया गया है, जबकि प्रार्थीया का लगातार पति के देहान्त के बाद से कब्जा व रिहायश चली आ रही है। अतः प्रार्थीया की निगरानी स्वीकार की जाकर विरुद्ध पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 279 दिनांक 09.02.2013 जो अप्रार्थी संख्या 01 कल्लो बाई पत्नी भगवान दास के नाम से पैमायश 216.40 वर्गगत का सरपंच ग्राम पंचायत खाटलबाना द्वारा जारी किया गया है को आपस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की है :-

1. आर.आर.टी. 2020(1) पेज-563 से 566

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता ने निगरानी पट्टा जारी होने के करीब 9 साल बाद प्रस्तुत की है। निगरानी मियाद के बाहर है। जिसे मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। विवादित पट्टा संख्या 279 दिनांक 09.02.2013 ग्राम पंचायत खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर पंचो की कमेटी बनाई जाकर एवं विधिवत् प्रकिया अपनाई जाकर जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उक्त विवादित पट्टा उप पंजीयक हिन्दुमलकोट से रसीद संख्या 2013000921 दिनांक 14.06.2013 को पंजीयन किया गया है। पंजीकृत पट्टा को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र श्रीमान न्यायालय को नही है। पंजीकृत पट्टा को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायलय को है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :-

1. डी.एन.जे. 2021 (1)(राज.) पेज- 186
2. डी.एन.जे. 2009 (एस.सी.) पेज- 1094

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 279 दिनांक 09.02.2013 जो अप्रार्थी संख्या 01 कल्लो बाई पत्नी भगवानदास के नाम से जारी किया गया है, उक्त पट्टे को जारी करते समय प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2012 पारित कर पूर्ण कोरम अपनाया जाकर जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। उक्त विवादित पट्टा उप पंजीयक हिन्दुमलकोट से रसीद संख्या 2013000921 दिनांक 14.06.2013 को पंजीयन किया गया है। पंजीकृत पट्टा को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र श्रीमान न्यायालय को नही है। पंजीकृत पट्टा को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायलय को है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि पाया कि ग्राम पंचायत खाटलवाना द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 279 दिनांक 09.02.2013 जो अप्रार्थी संख्या 01 कल्लो बाई पत्नी भगवानदास के नाम जारी किया गया है जो विधिसम्मत् है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने पीहर चली गई थी एवं पत्रावली में उपलब्ध निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जो 10/–रूपये के स्टाम्प पर पेश किया गया उस पर ज्ञानवन्द के अलावा जो दो गवाहों के हस्ताक्षर पाये गये वह ग्राम पंचायत खाटलवाना के ना होकर गावं 6 ईईए तहसील पदमपुर के है, जो सन्देहस्पद प्रतीत होते है क्योंकि ग्राम पंचायत खाटलवाना का घरू बंटवारा तहसीलदार पदमपुर के व्यक्तियों के समक्ष लिखा गया है ना ही उक्त शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है। विवादित पट्टा उप पंजीयक हिन्दुमलकोट से रसीद संख्या 2013000921 दिनांक 14.06.2013 को पंजीयन किया गया है। पंजीकृत पट्टा को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नही है। पंजीकृत पट्टा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दू पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत की प्रक्रिया में विधिक दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायत खाटलवाना के पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 279 दिनांक 09.02.2013 के विरूद्व पेश उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत खाटलवाना को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर